राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप –5) विभाग

क्रमांक : प0 07 (6) चिस्वा/05/2017 जयपुर दिनांक 12-05-2017

M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. **M/s Vision Dignostic India Pvt. Ltd., A-10, Second Floor, Niketan Mayur Vihar, Phase –I, Delhi**

रेस्पोडेंट

द्वितीय अपील संख्या – 6

अपील धारा 38(4), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 12.05.2017

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 10.05.2017 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्री सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल. की ओर से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.) ,एवं तकनीकी समिति सदस्य डॉ राजाराम बसीरा, डॉ अनुज शर्मा, कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर श्री अभिलाष सोनी उपस्थित हुये। रेस्पोंडेंट– II फर्म M/s Vision Dignostic India Pvt. Ltd., A-10, Second Floor, Niketan Mayur Vihar, Phase –I, Delhi की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील नाथ एवं फर्म के प्रतिनिधि श्री विशाल श्रीवास्तव एवं श्री प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित हुए।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट फर्म M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai ने आरएमएससीएल के कार्यालय आदेश क्रमांक F-8(85) RMSC/EPM/M-1/NIB/184/2017/853 दिनांक 06.03.17 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। सुनवाई के दौरान अपीलान्ट फर्म M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai ने अवगत कराया कि निविदा के लिए Corrigendum for Technical Specification जो जारी किया गया वह किसी फर्म विशेष को लाभ पहुचाने हेतु अथवा Single Bid Procurement के उद्देश्य से किये गये थे।

उनके द्वारा प्रदर्शित मशीन भी, रेस्पोंडेंट– II फर्म M/s Vision Dignostic India Pvt. Ltd., A-10, Second Floor, Niketan Mayur Vihar, Phase –I, Delhi द्वारा प्रदर्शित मशीन के Similar Technical Grounds पर ही है एवं रेस्पोंडेंट– II फर्म की मशीन के समानान्तर है। साथ ही यह भी अवगत कराया कराया गया कि डेमोन्सट्रेशन के पश्चात फर्म को नोन रेस्पोन्सिव घोषित करने के कार्यालय आदेश में कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। तकनीकी समिति द्वारा प्रथम व द्वितीय डेमोन्सट्रेशन में नोन रेस्पोन्सिव घोषित करने के कारणों में अन्तर है।

दौरान सुनवाई RMSCL रेस्पोंडेंट– I की ओर से अवगत कराया कि निविदा सूचना संख्या 184 पूर्व की निविदा सूचना संख्या 117 के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही जारी की गयी थी। इस निविदा संख्या 184 के जारी करने के पश्चात् एवं प्री–बिड से पूर्व तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें Dr. Sunita Bundas, HOD (Immunohematology and Transfusion Medicine), S.M.S. Hospital, Jaipur, Dr. Rajaram Basira, Incharge Blood Bank, Govt. Jaipuria Hospital, Jaipur, Dr. Anuj Sharma, Assistant Professor (Immunohematology and Transfusion Medicine), S.M.S. Hospital, Jaipur एवं Sh. Abhilash Soni, BME Jaipur Zone, RMSCL, Jaipur को नामित किया गया। उक्त आईटम की निविदा के लिये गठित तकनीकी समिति के सदस्य, योग्य, पूर्णतः सक्षम एवं अनुभवी है, जो कि काफी वर्षों से राज्य के मेडिकल कॉलेज से संबंधित ब्लड बैंकों में उच्च अधिकारी पद पर अपनी सेवायें प्रदान कर रहें है। प्री–बिड के पश्चात् आरएमएससीएल द्वारा निविदा के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में बदलाव के लिये Corrigendum दिनांक 23.11.16 जारी किया गया। जो कि किसी कम्पनी विशेष को लाभ देने की दृष्टि से नही बल्कि भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2015 को जारी की गयी गाइडलाइन अनुसार किये गये है। भारत सरकार ने दिसंबर 2015 को जारी की गई गाइडलाइन में ब्लड–बैंक आईटमो हेतु मानक तकनीकी स्पेसिफिकेशन को भी दर्शित किया गया है जो कि केन्द्रीय स्तर की तकनीकी समिति द्वारा हस्ताक्षरित है। जिसकी प्रति सभी राज्यों के प्रमुख शासन सचिव एवं प्रबंध निदेशक, एनएचएम आदि को भारत सरकार द्वारा प्रेषित है।

सुनवाई के दौरान तकनीकी समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए Dr. Rajaram Basira ने बताया कि अपीलान्ट फर्म की डेमो में प्रदर्शित मशीन KBM70 Plus पूर्ण रूप से Micro Processer controlled नहीं है क्योंकि पॉवर फेलियर के समय मशीन के अंदरूनी Roter के घुमते समय भी LID Open हो जाता है, जो की मशीन को काम में लेने वाले कर्मचारी एवं ब्लड बैंक की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मशीन में LID को Open करने एवं Emergency Open के लिए एक ही NOB है जिसको सामान्य व्यक्ति या कर्मचारी से अकस्मात एवं अनजाने में Press होने से LID Open होने की संभावना रहती है जो कि उपयोगकर्ता कर्मचारी एवं उस समय उपस्थित व्यक्तियों के लिये बडी दुर्घटना का कारण बन सकता है। रेस्पोंडेंट– II फर्म M/s Vision Dignostic India Pvt. Ltd., A-10, Second Floor, Niketan Mayur Vihar, Phase –I, Delhi द्वारा डेमो में प्रदर्शित Cryofuge 5500I मशीन पूर्ण रूप से Micro

Processer controlled है। मशीन का LID आकस्मात या अनजाने में Open नहीं हो सकता क्योंकि मशीन का आपातकालिक बटन एवं Open बटन अलग–अलग है, आपातकालीन Open बटन जो कि पूर्ण रूप से Covered है एवं केवल तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही आवश्यकतानुसार Open किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान रेस्पोंडेंट– I की ओर से अवगत कराया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम सुनवाई के बाद दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन के आदेश दिये गये। दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन हेतु, एक अनुभवी एवं ब्लड बैंक में काफी वर्षों से निरन्तर कार्य कर चुके Dr. S.S. Chouhan (Director AIDS) को भी गठित तकनीकी समिति में शामिल किया गया।

अपीलान्ट फर्म M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai द्वारा दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन के दौरान प्रस्तुत की गयी मशीन में कुछ मूल–चूल Parts जैसे Inserts with hook adaptors पूर्णतः Modified और बदले हुए प्रदर्शित किये जिससे आरएमएससीएल की निविदा शर्त संख्या GCC 9 का उल्लघंन होता है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियमों के अंतर्गत तकनीकी समिति ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट, निविदा में जारी किये गये तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर जांच कर जारी की है। जिसके अनुसार अपीलान्ट फर्म M/s Remi Electrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai द्वारा डेमोन्सट्रेशन में प्रदर्शित मशीन निविदा के तकनीकी मापदण्डों के अनुसार नही होने के कारण, स्वीकार योग्य नहीं है। निविदा के तकनीकी मूल्यांकन हेतु गठित तकनीकी समिति के सदस्य योग्य, अनुभवी एवं पूर्णतः सक्षम है एवं उनकी योग्यता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह् नहीं लगाया जा सकता है। विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 06.03.2017 द्वारा अपीलार्थी फर्म को डेमोन्सट्रेशन रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गयी है, जिसमें नोन रेसपोन्सिव किये जाने के कारणों का उल्लेख है।

सुनवाई के दौरान रेस्पोंडेंट– II की ओर से अवगत कराया कि अपीलार्थी फर्म तकनीकी रूप से नोन रेस्पोन्सिव घोषित की गयी है। अतः धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उक्त अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

इस संबंध में धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि तकनीकी रूप से नोन रेसपोन्सिव घोषित फर्म वित्तीय बिड के संबंध में अपील नहीं कर सकती है। अपीलार्थी द्वारा की गयी अपील तकनीकी रूप से नोन रेसपोन्सिव घोषित करने के संबंध में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से नोन रेसपोन्सिव घोषित करने पर दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन लिए जाने का निर्णय लिया गया था। अतः उक्त अपील प्रकिया को जारी रखा जाना उपयुक्त है।

पत्रावली देखने तथा बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी फर्म की मशीन का प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार तकनीकी समिति द्वारा दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन लिया गया। दूसरी बार भी तकनीकी समिति द्वारा फर्म की मशीन को निविदा में जारी तकनीकी स्पोसिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण मशीन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया। अपीलार्थी फर्म द्वारा दूसरी बार डेमोन्सट्रेशन के दौरान प्रस्तुत की गयी मशीन में कुछ मूल–चूल परिवर्तन किये गये, जिससे निविदा की शर्तो का उल्लघंन होता है। तकनीकी समिति द्वारा जारी रिपोर्ट राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियमों के अंतर्गत निविदा में जारी तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर है। विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 06.03.2017 द्वारा अपीलान्ट फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करने के संबंध में जो कारण बताये गये है वें पर्याप्त एवं उचित है तथा अपीलार्थी फर्म द्वारा अपील में उठाये बिंदु ठोस एवं संतोषजनक नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर अपीलार्थी फर्म की अपील अन्तिम रूप से अपास्त करते हुये निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

Veenu 12/5/17

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग